प्रेषक,

ऋचा जोशी,
अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय–द्वितीय,
प्रतापगढ़।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
प्रयागराज।

द्वारा,

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, प्रतापगढ़।

विषयः **उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 सपठित शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–76/दस/2024/301 (1)/2024, दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प निर्धारण प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण।**

आदरणीय महोदय,

1– विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243 /दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून 2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ के माध्यम से राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28–03–2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आच्छादित किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था दी गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2024 के शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

2– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0–9283/VIIb–104/Admin D सेक्शन, दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं0 9691/IV–F–82 (PENSION)/Admin (1) दिनांक 16.07.2024 के द्वारा भी उपर्युक्त प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कॉपी में एवं संबंधित अधिकारी के ई–सर्विसेज पर उपलब्ध ई–पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी में निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

3– यह अवगत कराना समीचीन है कि अधोहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच की न्यायिक अधिकारी है एवं उसकी नियुक्ति उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं०–ए–2– ई–1/2003, दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्षरी की पेंशन कटौती अब तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत (PRAN ID) सं0–110032127876 पर की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 22 नवम्बर, 2003 के आधार पर चयनित हुई है एवं उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 26.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 16.06.2006 थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उ०प्र० राज्य के उपरोक्त

शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की पात्रता रखती है।

अतः ससम्मान निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के प्रकाश में प्रार्थिनी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न है एवं माननीय महोदय से अनुरोध है कि मेरी पुरानी पेंशन योजना से संबंधित विकल्प पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।

ससम्मान् !

दिनांक 23.08.2024

भवदीया,

Richa joshi 23/8/24

(ऋचा जोशी)

अपर प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय–द्वितीय,

प्रतापगढ़।

संलग्नकः–

1. निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र (मूल रूप में)।

सादर अग्रसारित

23/8/24

Principal Judge

Family Court, Pratapgarh

शासनादेश सं०–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024
दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक–

विकल्प पत्र

1. नाम–ऋचा जोशी
2. वर्तमान पदनाम–अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय–द्वितीय, प्रतापगढ़।
3. वेतनमान–144840–194660(Level–J5), Basic Pay in July 2024–183490/-
4. वर्तमान विभाग का नाम–माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम – उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि–22-11-2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि–26-05-2006
8. योगदान की तिथि–16-06-2006
9. जन्मतिथि–21-05-1979
10. सेवानिवृत्ति की तिथि–31-05-2039

मैं **ऋचा जोशी** पत्नी **श्री एकांश वर्मा, पुत्री महेश चन्द्र जोशी** शासनादेश सं०–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत **पुरानी पेंशन योजना (√)** नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– Richajoshi 23/8/24
नाम–ऋचा जोशी
पदनाम–अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय–द्वितीय, प्रतापगढ़।

घोषणा–पत्र

मैं **ऋचा जोशी** पदनाम–**अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय–द्वितीय, प्रतापगढ़**, उ०प्र० शासन यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम सं० –01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Richajoshi 23/8/24
नाम–ऋचा जोशी
पदनाम–अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय–द्वितीय, प्रतापगढ़।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

ऋचा जोशी पदनाम–**अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय–द्वितीय, प्रतापगढ़**, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (√)** नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
सादर अग्रसारित
23.8.24
Principal Judge
Family Court, Pratapgarh